राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 20.06.2020

<u>अधिसूचना</u>

विभाग की समसंख्यक एडवायजरी दिनांक 30.05.2020 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुरूप कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु तथा आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में व्यापक लोकहित में ऐसे सभी चेरिटेबल ट्रस्ट एवं निजी संस्थान जिन्हें चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की रियायतें व सुविधाऐं प्रदान की गई है तथा ऐसे निजी चिकित्सालय जिन्हें कोविड–19 के उपचार हेतु चिन्हित/अधिकृत/अनुमत किया गया है, को निर्देशित किया गया था कि वे अपने चिकित्सा संस्थान में आने वाले कोविड–19 के मरीजों का अपने सामाजिक, मानवीय एवं नैतिक दायित्वों के अधीन समुचित उपचार करें तथा उन्हें अन्य किसी चिकित्सालय में जाने के लिए बाध्य/प्रेरित न करें।

राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि इनमें से कुछ निजी चिकित्सालयों द्वारा उनके अस्पताल में उपचार हेतु आने वाले कोविड–19 के मरीजों की जांच तो की जा रही है, किन्तु उनके पोजिटिव पाये जाने पर उन्हें कोविड–19 के उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालयों में रेफर किया जा रहा है तथा कुछ निजी चिकित्सालयों द्वारा उनके अस्पतालों में उपचार हेतु आने वाले कोविड़–19 के मरीजों से अनावश्यक राशि वसूली की जा रही है। जो वैश्विक महामारी के इस गंभीर दौर में अमानवीय होने के साथ ही अपने व्यावसायिक, सामाजिक, मानवीय एवं नैतिक दायित्वों से विमुख होना तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना एवं राज्यादेशों की अवहेलना भी है।

उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेजों एवं निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श उपरान्त आम नागरिकों (Non AB-MGRSBY Beneficiary) के लिए राजस्थान के निजी अस्पतालों में कोविड–19 के उपचार की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

S.N.	Packages	Rate in INR Per day	Inclusions	Exclusions
1.	General Ward Per Day.	2000/-	This includes Bed charges Meals, Consultations Charges PPE Kit & monitoring. Investigations like CBC, Urine routine, Serum Creatinine, Chest X-ray, Procedures like Ryle tube insertion, urinary tract catheterization, IV cannula.	Does not include: 1.Investigations like HIV Spot, Anti HCV, Hbs Ag, LFT, USG,2D ECHO, ECG, CT Scan, MRI, PET Scan etc. 2. Medicines 3.Interventional procedures like but not limited to Central line insertion, Chemo port insertion, bronchoscopic procedures biopsies, ascitic/pleural tapping etc. 4. Individual Rooms/Isolations
3.	ICU With Ventilator (Per Bed)	4000/-		

अतः कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु तथा आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में व्यापक लोकहित में ऐसे सभी चेरिटेबल ट्रस्ट एवं निजी संस्थान जिन्हें चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की रियायतें व सुविधाऐं प्रदान की गई है तथा **ऐसे निजी चिकित्सालय जिन्हें कोविड–19 के उपचार हेतु चिन्हित/अधिकृत/अनुमत किया गया है, को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने चिकित्सा संस्थान में आने वाले कोविड–19 के मरीजों का उक्त निर्धारित दरों पर अपने सामाजिक, मानवीय एवं नैतिक दायित्वों के अधीन समुचित उपचार करें तथा उन्हें अन्य किसी राजकीय चिकित्सालय में जाने के लिए बाध्य/प्रेरित न करें।**

20/06/2020

उक्त आदेश की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 5 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

20/06/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/ मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राज.
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
9. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
10. प्रबन्धक, समस्त निजी चिकित्सा संस्थान, राज.
11. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
12. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज./प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
14. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।

20.6.2020
(संजय कुमार)
शासन उप सचिव